इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 357] भोपाल, बुधवार, दिनांक 19 जुलाई 2017—आषाढ़ 28, शक 1939

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2017

क्र. 17258-वि.स.-विधान-2017.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 13 सन् 2017) जो विधान सभा में दिनांक 19 जुलाई 2017 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १३ सन् २०१७

मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, २०१७

विषय—सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा ३ का प्रतिस्थापन.
४. विधिमान्यकरण.
५. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १३ सन् २०१७

मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, २००४ को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, २०१७ है.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, २००४ (क्रमांक २० सन् २००४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), की धारा २ में, खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(झ क)"प्लास्टिक थैलियों" से अभिप्रेत है, वस्तुओं को ले जाने अथवा वितरण के प्रयोजन हेतु उपयोग किए जाने वाली किसी प्लास्टिक सामग्री से बनायी गयी थैलियां, किन्तु इसमें वे थैलियां सम्मिलित नहीं हैं जो पैकेजिंग के आवश्यक भाग के रूप में निर्मित होती हैं या बनती हैं, जिसमें माल को उपयोग से पूर्व सीलबंद किया जाता है:

परन्तु यह थैली जिसका उपयोग पैकेजिंग के लिए किया जाता है, यदि वह पुन: चक्रित की गयी है तो वह प्लास्टिक थैली के रूप में मानी जाएगी;".

धारा ३ का प्रतिस्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा ३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

प्लास्टिक थैलियों के उपयोग का प्रतिषेध.

"३. राज्य सरकार, यदि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझती है तो प्लास्टिक थैलियों या पात्रों की मोटाई को उनके उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग के लिए अधिसूचित कर सकेगी, या अधिसूचना द्वारा, सम्पूर्ण राज्य में या राज्य के किसी भाग में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा सकेगी.".

निरसन तथा व्यावृत्ति.

४.(१) मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन अध्यादेश, २०१७ (क्रमांक १ सन् २०१७) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात अथवा की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया कार्य अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, २००४ (क्रमांक २० सन् २००४) में कतिपय संशोधन किए जाना प्रस्तावित हैं. प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :—

(१) अधिनियम की धारा २ में "प्लास्टिक थैली" की परिभाषा अंत:स्थापित की जा रही है.

(२) प्लास्टिक थैली का उपयोग न केवल पर्यावरण को असंतुलित करता है बल्कि मानव जीवन को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है. अधिनियम की धारा ३ के उपबंध में जनता द्वारा उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक थैलियों की मोटाई विनिर्दिष्ट की गई है. पर्यावरण को संरक्षित करने तथा मानव जीवन और लोक स्वास्थ्य के खतरे को दूर करने की दृष्टि से धारा ३ में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित किया गया है ताकि प्लास्टिक थैलियों की मोटाई अधिसूचित करने के लिये या प्लास्टिक थैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध को अधिसूचित करने के लिये राज्य सरकार को सशक्त बनाया जा सके.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, इसलिए मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संसोधन अध्यादेश, २०१७ (क्रमांक १ सन् २०१७) इस प्रयोजन हेतु प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर मध्यप्रदेश विधान मण्डल का एक अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
दिनांक ७ जुलाई, २०१७

अंतर सिंह आर्य
भारसाधक सदस्य.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

प्लास्टिक थैली का उपयोग न केवल पर्यावरण को असंतुलित करता है बल्कि मानव जीवन को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है. अधिनियम की धारा ३ के उपबंध में जनता द्वारा उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक थैलियों की मोटाई विनिर्दिष्ट की गई है. पर्यावरण को संरक्षित करने तथा मानव जीवन को लोक स्वास्थ्य के खतरे को दूर करने की दृष्टि से धारा ३ में आवश्यक संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया था ताकि प्लास्टिक थैलियों की मोटाई अधिसूचित करने के लिये या प्लास्टिक थैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध को अधिसूचित करने के लिये राज्य सरकार को सशक्त बनाया जा सके.

चूंकि विधान सभा का सत्र तत्समय प्रारंभ नहीं था तथा मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, २००४ में प्रस्तावित संशोधन किया जाना लोकहित में आवश्यक होने से मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन अध्यादेश, २०१७ प्रख्यापित किया गया था.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.